



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012024-251647
CG-DL-E-30012024-251647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 344]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2024

सं. 18/2024

का.आ. 365(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ मैसर्स प्रयोगा, बैंगलुरु (पैन: AACTP9202D) को 'विश्वविद्यालय, कालेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु 'अन्य संस्थान' के तौर पर अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र (अर्थात् पूर्व वर्ष 2023-24 से) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी और तदनुसार निर्धारण वर्षों 2024-2025 से 2028-2029 तक लागू होगी।

[फा. सं. 203/11/2023.ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

No. 18/2024

S.O. 365(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves ‘**M/s Prayoga, Bengaluru (PAN: AACTP9202D)**’ as ‘**Other Institution**’ under the category of ‘**University, College or Other Institution**’ for ‘Scientific Research’ for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall apply with effect from the date of publication in the Official Gazette (i.e. from the Previous Year 2023-24) and accordingly shall be applicable for Assessment Years 2024-2025 to 2028-2029.

[F. No. 203/11/2023/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T. Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.